न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 72/2010 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
राजेश पुत्र हीरालाल जाति घांची निवासी 13, भैरूघाट, भलावतों का बास, पाली		1. मगराज पुत्र हीरालाल घांची निवासी 65 वीर दुर्गादास नगर पाली 2. रमेश पुत्र मोहनलाल घांची, निवासी 52 भैरूघाट, भलावतो का बास पाली 3. अनिल पुत्र मोहनलाल घांची निवासी 52, भैरूघाट, भलावतों का बास पाली 4. श्रीमती कमलादेवी पत्नी मोहनलाल घांची निवासी 52 भैरूघाट, भलावतों का बास पाली 5. आमेप्रकाश पुत्र हीरालाल घांची निवासी 20 धौला चौतरा, बिजलीघर के सामने पाली 6. आनन्द कुमार पुत्र हीरालाल घांची निवासी 13, भलावतों का बास भेरूघाट पाली 7. श्रीमती जमनीदेवी पत्नी हीरालाल घांची निवासी 13, भलावतों का बास, भैरूघाट पाली 8. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण घांची निवासी बी–113, शास्त्री नगर, जोधपुर 9. सुमन पुत्री लक्ष्मीनारायण घांची निवासी बी–113, शास्त्री नगर जोधपुर 10. मनीषा पुत्री लक्ष्मीनारायण घांची निवासी बी–113 शास्त्री नगर जोधपुर 11. राज. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर बंसल

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत पाली चक। के नामान्तरकरण संख्या 2529 स्वीकृत दिनांक 26.08.2010 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि मृतक हीरालालजी अपीलाण्ट के पिता थे जिनकी मौजा पाली, पटवार हल्का पाली चक। तहसील पाली के खसरा नम्बर 780/7 रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा में 1/4 हिस्सा एवं

क्रमश.........2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

खसरा नम्बर 780 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा में 1/35 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिनकी मृत्यु दिनांक 02.02.2003 को हो चुकी है। स्व. हीरालाल जी ने अपने जीवन काल में ही जैर अपील खरीदसुदा, स्वअर्जित कृषि भूमि की तीन मौजीज व्यक्तियों के मौजूदगी में अपीलाण्ट के हक में दिनांक 05.08.1992 को वसीयत कर दी थी। जिसको दिनांक 05.08.1992 को ही नोटेरी द्वारा प्रमाणित भी करवाया गया। उक्त वसीयत करने का स्व. हीरालालजी को पुरा पुरा अधिकार था। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट जैर अपील आराजी का हीरालालजी की मृत्यु पश्चात विधिक रूप से खातेदार हो जाने से वसीयत का अमल–दरामद करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय वसीयत की प्रति के दिनांक 28.09.2006 को पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा भी एक आवेदन आपसी पारिवारीक बंटवाडे के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों के आधार पर प्रकरण संख्या 13/2006 दर्ज किया तथा दिनांक 17.08.2010 को दोनों प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए सक्षम न्यायालय में अपने अधिकार प्राप्त करने के आदेश के साथ निर्णय पारित कर दिया एवं जैर अपील नामान्तरकरण उसके कुछ समय पश्चात ही उत्तराधिकारियों के नाम भर दिया। जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जैर अपील नामान्तरकरण उत्तराधिकारियों के नाम बिना जांच, बिना नोटिस जारी किए तथा बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित कर दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार पाली द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर भारी विधिक भूल की है। जिसे निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाण्ट के हक में जो वसीयत सम्पादित की गई है। जिसे रेस्पोडेण्टगण द्वारा सक्षम न्यायालय में आज तक चुनौति नहीं दी गई है। इसलिए वसीयत के आधार पर नामान्तरकण अपीलाण्ट के पक्ष में कराए जाने का आदेश पारित करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि स्व. हीरालाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खरीदसुदा स्वअर्जित कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 05.08.1992 को अपीलाण्ट के पक्ष में सम्पादित करवाई गई थी। जिसमें यह उल्लेखित किया हुआ है कि जब तक में जीवित रहुँगा, खाउँगा, खर्च करूँगा, धर्म ध्यान करूंगा एवं जरूरत होने पर बेचान कर सकुंगा मेरे मरने के बाद बहैसीयत खातेदार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग वसीयतगृहिता कर सकेगा। लेकिन उसके पश्चात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण के मध्य पारिवारीक बंटवाडा दिनांक 03.12.1994 को निस्पादित किया गया था तथा हीरालाल जी की उसमें सहमति थी। पारिवारीक बंटवाडे पर हीरालालजी के भी हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में हीरालालजी के जीतेजी वसीयत के पश्चात किए गए बंटवाडे पर हस्ताक्षर के साथ ही वसीयत उनके जीवनकाल के अन्तिम दस्तावेज के रूप में प्रभावी नहीं रही। जिससे प्रकरण संख्या 13/2006 में मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दिया गया निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर मातहत अदालत को पारिवारीक बंटवाडे के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने के आदेश पारित करावें। उपरोक्त आराजी के संबंध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उपखण्ड अधिकारी पाली के न्यायालय में भी रेस्पोडेण्टगण द्वारा पेश किया गया।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....3

जो 03.12.1994 को वादी एवं प्रतिवादी द्वारा वाद को आगे नहीं चलाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नोट प्रेस में वाद खारिज किया गया। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पाली की आदेशिका दिनांक 13.12.1994 में अपीलाण्ट के भी हस्ताक्षर है तथा तहसीलदार पाली के प्रकरण 13/2006 के निर्णय दिनांक 17.08.2010 के विरूद्ध माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपीलाण्ट द्वारा अपील की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2011 को खारिज की जाकर तहसीलदार के आदेश का यथावत रखा गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पाली द्वारा उनके समक्ष वसीयतनामे के आधार पर प्रकरण संख्या 13/2006 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय से खारिज किया कि वसीयत में यह भी वसीयतकर्ता का लिखित है कि में जीतेजी उपयोग करूंगा, खाउंगा, खर्चुंगा व बेचाण भी कर सकता हुँ। इस प्रकार वसीयतकर्ता द्वारा जीतेजी पुनः बंटवाडा कर दिया। ऐसी स्थिति में हीरालालजी के जीतेजी वसीयत के पश्चात किए गए बंटवाडे पर हस्ताक्षर के साथ ही वसीयत उनके जीवनकाल के अन्तिम दस्तावेज के रूप में प्रभावी नहीं रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जो विधि अनुरूप है। अगर अपीलाण्ट वसीयत के आधार पर स्वयं को एक मात्र उत्तराधिकारी होना मानता है तो वह अपने पक्ष में स्व.हीरालाल द्वारा निस्पादित वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दस्तावेज व गवाहों का परीक्षण कराते हुए अपने अधिकारों का निर्धारण करवा सकता है। इसी प्रकार तहसीलदार पाली के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा नोटेरी द्वारा प्रमाणित किया हुआ है एवं जैर अपील आराजी के खातेदार हीरालाल के जीतेजी किया गया है। जिस पर हीरालाल के हस्ताक्षर है। खातेदार के जीतेजी उसके वारिशान द्वारा किया हुआ आपसी सहमती से पारिवारीक बंटवाडा विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। इस कारण तहसीलदार द्वारा बंटवाडे के आधार पर इन्द्राज करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष हीरालाल की मृत्यु के पश्चात उसके वारिशान के नाम नामान्तरकरण पारित करने के अलावा विकल्प नहीं होने से जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2529 दिनांक 26.08.2010 भरा जाकर स्वीकृत किया गया जो विधि सम्मत होने से अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने खारिज की जाती है। ग्राम पाली पटवार हल्का पाली चक। तहसील पाली के खसरा नम्बर 780/7 रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा में 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 780 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा में 1/35 हिस्सा के खातेदार स्व. हीरालाल वल्द गेना के वारिशान के नाम तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2529 दिनांक 26.08.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल नामान्तरकण तहसीलदार पाली को लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)